अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम ,1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है;

और जंहा उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक–06–04–2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है;

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या– 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शामली जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/ थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1.	कैराना खतौली मार्ग प्र0जि0 मार्ग **UP73MD0022W**	कैराना से भभीसा बाया कांधला 00.000–19.000	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
2.	बिडौली – चौसाना मार्ग (अन्य जि0मार्ग) **UP73OD0007**	बिडौली से खोडसमा चौसाना तक 0.000–12.900	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
3.	कैराना झिंझाना ऊन थानाभवन मार्ग (अन्य जि0मार्ग)**UP73OD0008**	कैराना से थानाभवन तक वाया भूरा, झिंझाना ऊन गढी अब्दुला खाँ 0.000–43.100	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

Scanned with CamScanner

	हिन्ड घनेना मादलपुर जन्धेडी गढी पुख्ता मार्ग (अन्य जि0मार्ग)UP73OD00053	हिन्ड से गढी पुख्ता तक वाया धनेना जन्धेडी तक 0.425-8.875	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
6.	ऊन चौसाना मोनेट शुगर मील मार्ग (अन्य जि0मार्ग) UP73OD0061	ऊन चौसाना मार्ग से ग्राम टोडा गंगारामपुर मार्ग से खेडकी वाया शामली शामला, मोनेट शुगर मिल तक 0.000—6.000	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
7.	दिल्ली—यमुनोत्री मार्ग (अन्य जि0मार्ग) UP73OD0057	दिल्ली—यमुनोत्री मार्ग से इस्लामपुर घसोली तक 0.250—9.250	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
8.	चौसाना बसी चुन्धियारी मार्ग (अन्य जि0मार्ग) UP73OD0059	चौसाना से चुन्धियारी मार्ग वाया शामली शामला तक 0.000—9.000	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
9.	कैराना पठेड बरनावी मार्ग (अन्य जि0मार्ग) UP73OD0012	कैराना से खुरगान वाया पठेड बरनावी तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
10.	ऊन चौसाना मार्ग (अन्य जि0मार्ग) UP73OD0013	ऊन से चौसाना तक 0.000—9.000	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
11.	मेरठ करनाल मार्ग से मसूंरा डोकपुरा मार्ग (अन्य जि0मार्ग) UP73OD0014	मेरठ करनाल मार्ग से मसूंरा डोकपुरा तक 0.000—8.750	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
12.	मस्तगढ नहर के पुल से केल शिकारपुर मार्ग (अन्य जि0मार्ग) UP73OD0015	मस्तगढ नहर के पुल से केल शिकारपुर तक 0.000—10.684	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
13.	जलालाबाद धकोड़ी जमालपुर दिल्ली यमुनौत्री मार्ग (अन्य जि0मार्ग) UP73OD0066	जलालाबाद धकोड़ी जमालपुर होते हुए चंदेनामाल तक 0.000—12.200	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
14.	कादरगढ़ लुहारी जलालाबाद मार्ग (अन्य जि0मार्ग)UP73OD0063	कादरगढ़ से जालालाबाद वाया लुहारी तक 0.000—4.190	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति
15.	ग्राम कुडाना मे आर्य समाज	ग्राम कुडाना मे आर्य	40 कि0मी0	60 कि0मी0	60 कि0मी0 प्रति	

Scanned with CamScanner

	ग्राम कुडाना मे आर्य समाज से बस स्टैंड– काबडीत मार्ग (अन्य जि0मार्ग) UP73OD0069	ग्राम कुडाना मे आर्य समाज से बस स्टैंड से होते हुए काबडीत–लॉक चौकी तक 0.000–2.300	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
16.	भैसवाल मावलपुर मार्ग (ग्रामीण मार्ग) UP73VR0226	भैसवाल मावलपुर केनाल पटरी तक 0.000–3.110	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
17.	चौसाना मुण्डेट मार्ग (अन्य जि0मार्ग) UP73OD0068	चौसाना मुण्डेट बधेव तक 0.000–15.600	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
18.	मेरठ करनाल मार्ग NH-709AD	टिटौली पुलिया से बामनौली कसरेवा तक 0.000–6.000	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
19.	पानीपत खटीमा मार्ग NH-709AD	बनत से जलालपुर कैण्डी महावतपुर तक 0.000–9.560	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
20.	रजवाहा फजलपुर पटरी मार्ग (अन्य जि0मार्ग) UP73OD0068	रजवाहा से फजलपुर पटरी मार्ग तक 0.000–7.000	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
21.	कैराना तितरवाडा ईस्सोपुर टील मार्ग (अन्य जि0मार्ग) UP73OD0005	कैराना से ईस्सोपुर टील वाया तितरवाडा तक 0.000–3.500	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
22.	कांधला गंगेरू ईस्सोपुर टील मार्ग (अन्य जि0मार्ग) UP73OD0001	कांधला ईस्सोपुर टील वाया गंगेरू तक 0.000–9.800	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा– 116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एंव अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों

...3

(ii) को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(iii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

अ) अग्नि शमन वाहन
ब) एम्बुलेंस ।
स) पुलिस वाहन।
द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।
य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(iii) उपरोक्त तालिका के कॉलम– 3 मे उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा– 112 की उप धारा (1) के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक– 06–04–2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

मुन्शी लाल,
वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद शामली।

....4

Scanned with CamScanner

पृ0सं0–2906/स0सु0/2020 समदिनांकित–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3– जिलाधिकारी शामली।
4– पुलिस अधीक्षक, शामली।
5– निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6– अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0) लखनऊ।
7– उप परिवहन आयुक्त मेरठ परिक्षेत्र मेरठ।
8– सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) सहारनपुर।
9– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण शामली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त विभिन्न मार्गो पर उपरोक्त विभिन्न गति के बोर्ड लगाने का कष्ट करें।
10–राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बागपत को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने क्षेत्राधिकार में पडने वाले मार्गो पर उपरोक्तानुसार गति निबंधन सम्बन्धी बोर्ड लगाने का कष्ट करें।
11–जिला सूचना अधिकारी शामली को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त अधिसूचना को जनपद के प्रमुख समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
12–सम्पादक महोदय, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दूस्तान, तथा अन्य दैनिक समाचार पत्र शामली को इस अनुरोध के साथ कि अपने आगामी अंक में उपरोक्त अधिसूचना को निशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
13–समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/जिला पचायत/नगर पंचायत को इस आशय से प्रेषित कि आपके क्षेत्राधिकार में पडने वाले मार्गो पर उपरोक्तानुसार गति निबंधन सम्बन्धी बोर्ड लगाने का कष्ट करे।

(मुन्शी लाल)
18/6/20

वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
पंजीयन/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद शामली।

....5

Scanned with CamScanner